न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—138 सन् 2022

वासु सहनी वगैरह..........................वादीगण।

बनाम

नंद किशोर सिंह वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 01.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.06.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी वासु सहनी की मृत्यु दिनांक 26.04.2022 को हो गई है। वादी वासु सहनी के कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि मृत वादी वासु सहनी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 14.07. 2022 को दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी वासु सहनी थे जिनकी मृत्यु दिनांक 26.04.2022 को हो गई है। वादी वासु सहनी के कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में जरूरी है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 18.06.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।